International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 04(II), October - December, 2022, pp. 182-185

राजस्थान के प्रमुख खानाबदोश वर्गः एक अध्ययन

कल्पेश चौधरी*

सार

इस पेपर में राजस्थान के विशेष संदर्भ में खानाबदोश वर्ग का अध्ययन किया गया है। इस क्रम में राजस्थान के प्रमुख खानाबदोश वर्गों के वर्गीकरण और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को भी दर्शाया गया है। इसके लिए क्षेत्र अध्ययन (फील्डवर्क) के दौरान प्रश्नावली व खुले साक्षात्कार विधियों का प्रयोग किया गया है। इस समग्र प्रक्रिया के दौरान एक बात स्पष्टतः सामने आती है कि खानाबदोश वर्गों को भिन्न–भिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए जाने से उन्हें विशिष्ट पहचान व उचित दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है। साथ ही, उनके आपराधिक जनजातियों की ऐतिहासिक मान्यता, यायावरी प्रकृति, परंपरागत व्यवसायों का ह्रास आज भी उनके विकास हेतु चुनौतीपूर्ण है। इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण अपेक्षित है ताकि समावेशी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

शब्दकोशः *खानाबदोश वर्ग, विमुक्त वर्ग, पशुपालक, घुमंतू, अर्द्ध घुमंतू वर्ग, यायावरी प्रकृति, आपराधिक जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आदतन अपराधी।*

प्रस्तावना

खानाबदोश शब्द का अंग्रेजी पर्याय शब्द 'नोमेड्स' (Nomads) है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'नेमैन' (Nemein) से हुई है, जिसका अर्थ है चराना (to pasture)। इस रूप में खानाबदोश वर्ग लोगों का वह समूह है, जो अपने पशुओं हेतु चरागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है और जिनका कोई स्थाई आवास नहीं होता हैं।[1] हालांकि वर्तमान में इस समुदाय को पशुचारक और गैर पशुचारक में बांटा जा सकता है।

भारत में खानाबदोश वर्ग को तीन भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें विमुक्त (नोटिफाइड), घुमंतू (नोमेडिक) और अर्द्ध घुमंतू (सेमी–नोमेडिक) जनजातियां शामिल है। विमुक्त जनजातियों में वे जनजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें 'आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871' के तहत 'आपराधिक जनजाति' के रूप में चिन्हित (नोटिफाइड) किया गया है। घुमंतू व अर्द्धघुमंतू जनजातियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी गतिशीलता की आवर्ती के आधार पर अंतर किया जाता है।[2]

उल्लेखनीय है कि रेनके आयोग के अनुसार भारत में खानाबदोश वर्ग की जनसंख्या लगभग 10.74% है। एक अन्य अनुमान के अनुसार भारत में खानाबदोश वर्ग में 500 के लगभग समुदाय शामिल है।

2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के विशेष संदर्भ में खानाबदोश वर्ग राज्य की कुल जनसंख्या में 12.56% की भागीदारी रखता है।[3] यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने 1964 में एक आदेश द्वारा 32 जातियों की खानाबदोश जातियों के रूप में पहचान की है, जिनमें 9 विमुक्त जातियॉ, 10 घुमन्तू जातियॉ व 13 अर्द्ध घुमन्तू जातियॉ सम्मिलित है, जिन्हें निम्नांकित सारणी द्वारा सरलता से समझा जा सकता है–

* शोधार्थी राजनीति विज्ञान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

क्र.सं.	वर्गीकरण	खानाबदोश वर्ग
1.	विमुक्त (डिनोटिफाइड) वर्ग	बावरी, कंजर, सांसी, नाइक, भाट, मोगिया, नट, मुल्तानी, बावरिया/बागरी
2.	घुमंतू (नोमैडिक) वर्ग	पारधी, गाड़ियां लोहार, जोगी कालबेलिया, जोगी कनफटा, सिकलीगर, घिसाड़ी, बंजारा, दोमाबरिस, इरानी, खुरपलट्स
3.	अर्द्धघुमंतू (सेमी नोमैडिक) वर्ग	मांगलिया, जोगी, रामास्वामी, सारंगीवाला भोपा, रेबारी, राठ, भाया, कन्नीस, जंगलस, जालुकूस, झानस, सिंदुलस, भारादिजाधव

उल्लेखनीय है कि खानाबदोश वर्ग को संविधान और विधि द्वारा विशेष पहचान व दर्जा नहीं दिया गया है, जैसाकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में प्रावधान है। इसलिए खानाबदोश वर्ग के विभिन्न समुदाय भिन्न–भिन्न श्रेणियों में शामिल हैं अथवा कुछ वर्ग उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। इनकी श्रेणीवार स्थिति को निम्नांकित सारणी द्वारा अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है।[4]

क्र.सं.	श्रेणी	खानाबदोश वर्ग
1.	अनुसूचित जाति (SC)	कंजर, सांसी, बावरिया, नाइक, भांड, नट
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	मांगलिया, जोगी, मोगिया, मुल्तानी, भाट, जोगी कालबेलिया, पारधी, इरानी, घिसाड़ी, कन्नीस
3.	अति पिछड़ा वर्ग (MBC)	रेबारी, गाडिया, लोहार बंजारा, गड़रिया
4.	उपर्युक्त में से किसी में नहीं (None)	गवारिया, मांगणियार, लंगा, वन बावरिया, जोगी कनिपा

राजस्थान के प्रमुख खानाबदोश वर्ग

बंजारा

बंजारा नमक, मुल्तानी मिट्टी और पशुओं का व्यापार करने वाला खानाबदोश वर्ग है।[5] किवदंतियों के अनुसार बंजारे चारण समुदाय (जो सामान्यतः राजपूतों के दरबारी कवि थे) के वंशज हैं। उनकी घुमंतू जीवनशैली की शुरुआत मुगल वंश के समय शुरू हुई, जब वे मुगल सेना के लिए वाहक (कैरियर) का कार्य करने लगे। इनकी यायावरी प्रकृति औपनिवेशिक काल में भी जारी रही। इस दौरान बंजारा समुदाय के लोग गुजरात, राजस्थान और काबुल के मार्ग से अनाज के परिवाहक (ट्रांसपोर्टर) का कार्य करते थे। ये समुदाय अपने विशिष्ट धर्म हेतु जाना जाता है, हालांकि इसमें हिंदू, सिक्ख व इस्लाम धर्म की परंपराएं व रीति–रिवाज शामिल हैं।[6]

सामान्यतया बंजारा समुदाय के लोग पशु मेलों के निकट अपना डेरा डालते हैं ताकि आसानी से पशुओं का व्यापार कर सकें। उनकी भू–विषयक जानकारी विशिष्ट है, यही कारण है कि उत्तर भारत में बाजारों के यात्रा मार्ग राजमार्गों के आधार बने। हालांकि कालांतर में रेलवे व सड़कों के विकास से उनकी यह ऐतिहासिक भूमिका समाप्त हो गई। फील्डवर्क के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि बंजारा समुदाय के लोग वर्तमान में खनन व कृषि श्रमिक के रूप में भी कार्यरत हैं। हाल ही में, राजस्थान सरकार ने उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर नवीन श्रेणी 'अति पिछड़ा वर्ग' (एमबीसी) में सम्मिलित किया है।

गाड़ियां लोहार

यह मूल रूप से राजस्थान का खानाबदोश वर्ग है जो लोहे के बर्तन, औजार आदि बनाने का कार्य करता है। यह समुदाय बैलगाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता रहता है, इसलिए इन्हें गाड़ियां लोहार कहा जाता है। गाड़ियां लोहार महाराणा प्रताप की सेना में कार्यरत थे, लेकिन महाराणा की मुगल सेना से पराजित होने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि महाराणा प्रताप के पुनः सत्ता में आने तक वे यायावर जीवन व्यतीत करेंगे और अपने घरों में वापस नहीं लौटेंगे। उसके बाद से बैलगाड़ी उनका गतिशील आवास बन गयी। गाड़ियां लोहार 10 उपजातियों में विभाजित है, जो राजपूतों में भी पायी जाती है। इनमें चौहान, डाबी, गहलोत, पंवार आदि सम्मिलित है।[7] परंपरागत रूप से लोहे के कार्य के अतिरिक्त बैलों का व्यापार भी इनकी आय का प्रमुख स्रोत था। हालांकि फील्डवर्क के दौरान यह देखा गया है कि गाड़ियां लोहार के समुदाय का रुझान उद्योग, खनन वकृषि श्रमिक के रूप में बढा है। इसका कारण लौह उपकरण बनाने में मशीनों के प्रयोग में वृद्धि होना है। राजस्थान सरकार द्वारा गाड़ियां लोहार को 'अति पिछड़ा वर्ग' में सम्मिलित किया गया है।

कालबेलिया

कालबेलिया समुदाय का प्रमुख कार्य सांप पकड़ना है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि उनके गुरु कनिपा से उन्हें इस कार्य के लिए वरदान प्राप्त है। कालबेलिया समुदाय के लोगों को टैटू बनवाना पसंद है और महिलाएं भारी मात्रा में चांदी के आभूषण पहनती है। साथ ही, कालबेलिया समुदाय के लोग विष चूसने व औषधीय बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि वन्यजीव अधिनियम के तहत सांप पकड़ने को प्रतिबंधित किए जाने से कालबेलिया लोगों की कला सीमित हुई है, जिसका प्रदर्शन अब मेलों में व देश के बाहर ही होता है। कालबेलिया समुदाय राजस्थान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित हैं।[8]

बावरिया

बावरिया मूलतः शिकार आधारित समुदाय है। अकेले राजस्थान में इनकी जनसंख्या 31,903 है।[9] वर्तमान में बावरिया समुदाय के लोग कृषि भूमि की पशुओं से रक्षा करने के कार्य में संलग्न है। हालांकि फसल कटाई के बाद अप्रैल–मई माह में बावरिया समुदाय के लोग अपने घरों में लौट जाते हैं, क्योंकि कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर स्थायी आवास की आशंका के कारण बावरिया वर्ग के लोगों से भूमि खाली करा ली जाती है, जिससे उनकी बेरोजगारी पुनः आरंभ हो जाती है। इसलिए बावरिया समुदाय आय के अन्य स्रोत भी अपनाते हैं जिसमे भैंसा पालना और शहद एकत्रित करना शामिल है। राजस्थान में बावरिया समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है।[10]

रेबारी

रेबारी राजस्थान का वृहत्तम घुमंतू पशुपालक समुदाय है, जिसकी राजस्थान में जनसंख्या लगभग 5 लाख है। परंपरागत रूप से रेबारी ऊंट व भेड़ पालक है। राजस्थान में इन्हें 'राइका' व 'देवासी' भी कहा जाता है। रेबारी समुदाय दो वर्गों में विभक्त हैः– मारू और गोडवाड रेबारी। रेबारी समुदाय के लोग अपने पशुओं के साथ दिवाली के बाद लगभग अक्टूबर–नवंबर माह में प्रवास करते हैं और मानसून आरंभ होने से पूर्व जून–जुलाई माह में अपने स्थायी आवास पर लौटते हैं। ये लोग अपने पशुओं हेतु चारागाह की खोज में भारत के अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश तक हजारों किलोमीटर की यात्रा करते है, अतः इनकी यात्रा की अवधि 8–9 माह तक होती है। इसीलिए यह समुदाय शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जहाँ 10–15ः बच्चों को ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो पाती है और उच्च शिक्षा व बालिका शिक्षा का स्तर नगण्य है।[11] इनके सामाजिक–शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु राजस्थान सरकार ने रेबारी समुदाय को 'अति पिछड़ा वर्ग' में सम्मिलित किया है।

नट

ऐतिहासिक रूप से नट खानाबदोश वर्ग है, जिनका व्यवसाय रस्सी पर नाचना, जादूगरी–कलाबाजी और करतब दिखाना है। ये लोग परंपरागत रूप से राजा, जमींदारों व ग्रामीण लोगों का मनोरंजन करते थे। कालांतर में, औपनिवेशिक शासन के दौरान रियासतों में विशेष अवसरों पर इन्हें नाचने–गाने के लिए आमंत्रित किया जाता था।[12] इसके अतिरिक्त, नट समुदाय जड़ी–बूटियों विषयक औषधियों में अपने ज्ञान हेतु जाना जाता है। राजस्थान में नट समुदाय को अनुसूचित जाति श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

कंजर

कंजर जनजाति को औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा 'आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871' के तहत एक 'आपराधिक जनजाति' का दर्जा दिया गया। हालांकि इससे 'आदतन अपराधी अधिनियम, 1952' द्वारा विमुक्त (डीनोटिफाइड) समुदाय घोषित कर दिया गया। वर्तमान में भी कंजर समुदाय को चोरी व डकैती के लिए जाना जाता है। हालांकि चोरी कंजर समुदाय का नियमित व्यवसाय नहीं है।[13] कंजर आय अर्जन हेतु यजमानी, नृत्य व गायन, वंशावली संग्रहण आदि करते हैं। साथ ही, कुछ कंजर स्त्रियाँ भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में संलग्न है किंतु वर्तमान समय में कंजर समुदाय अपने परंपरागत धंधों को छोड़कर कृषि व औद्योगिक मजदूरी की ओर आकर्षित हुआ है। राजस्थान में कंजर समुदाय अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल हैं।

भोपा

भोपा समुदाय के लोग व्यावसायिक दृष्टि से मूलतः गायक है,जो परंपरागत हिंदू कथाओं जैसे रामायण और महाभारत पर नृत्य–गायन का अभिनय करते हैं। इनकी ऐतिहासिक जानकारी विस्तृत होती है। राजस्थान में भोपा समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है।

निष्कर्ष

राजस्थान के खानाबदोश वर्गों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति निम्नस्तरीय है, इसके प्रमुख कारणों में खानाबदोश वर्ग के जनसंख्या आंकड़ों की कमी, पहचान विषयक दस्तावेजों और उचित संवैधानिक व विधिक प्रावधानो का अभाव, परंपरागत व्यवसायों पर प्रतिबंध, आपराधिक जनजाति अधिनियम द्वारा प्रदत्त अमिट कलंक, प्रशासन व जनता द्वारा अनदेखी, खानाबदोश वर्ग में व्याप्त शिक्षा व जागरूकता तथा इनकी घुमंतू जीवनशैली आदि शामिल हैं, अतः खानाबदोश वर्ग के उत्थान हेतु एक व्यवस्थित व बहुआयामी रणनीति अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एंगस स्टीवेंसन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिस (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तृतीय संस्करण, 2010) : पृ.सं.–1205
2. रेनके आयोग, वोल्यूम–1, पृ.सं.–106
3. सचदेव बंदना, परसेप्शन ऑफ नोमेड ट्राइब पॉपूलेशन इश्यूज, पृ.सं. 73
4. नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमेडिक एण्ड सेमी–नोमेडिक ट्राइब्स रिपोर्ट, दिसम्बर–2017, पृ.सं. 206–209
5. पंत, मन्दाकिनी : द क्वेस्ट फॉर इक्लूशन : नोमेडिक कम्यूनिटीज एण्ड सिटीजनशिप क्वेश्चनस् इन राजस्थान, पृ.सं. 85
6. एचआईसी – एचएलआरएन, कंफर्नटिंग डिसक्रिमीनेशन : नोमेडिक कम्यूनिटीज इन राजस्थान एण्ड देअर् ह्यूमन राइट टू लैण्ड एण्ड एडिक्वेट हाउसिंग, पृ.सं.–13
7. रिपोर्ट दिसम्बर–2017, नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिकाइड नोमेडिक एण्ड सेमी नोमेडिक ट्राइब, पृ.सं.–22
8. एचआईसी – एचएलआरएन, कंफर्नटिंग डिसक्रिमीनेशन, नोमेडिक कम्यूनिटीज इन राजस्थान एण्ड देअर ह्यूमन राइट टू लैण्ड एण्ड एडिक्वेट हाउसिंग, पृ.सं. 14–15
9. दत्त बहार, द फोरेगोटन पीपल – बावरियाज ऑफ राजस्थान, प्रोसिडिंग ऑफ ए पब्लिक हियरिंग, अगस्त–2003
10. दत्त, बहारः नोमेडिक पीपल, 2004, वोल्यूम– 8, पृ.सं. 263
11. व्यास एन, महावर एम एम एण्ड जारोली डीपी, ट्रेडिशनल मेडिसनस डेराइव्ड फ्रॉम डोमोस्टिक एनीमल्स यूजड् बाई रेबारी कम्यूनिटीज ऑफ राजस्थान, पृ.सं. 130–131
12. सावरकर, रमेश चन्द्र, राजस्थान, इण्डिया : एन एन्थ्रोग्राफिक स्टडी ऑफ द नट कम्यूनिटी
13. अनास्टासिया पीलियाव्सकी, द क्रिमीनल ट्राइब एन इण्डिया बिफॉर द ब्रिटिश, पृ.सं. 327–328.

❖◆❖